न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।

जी0 आर0 नं0– 196 /2024

मेहंदिया थाना काण्ड संख्या 63/2023

31.07.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में कार्यालय के द्वारा आज मामले में दिनांक– 03.02.24 को प्रस्तुत आरोप पत्र को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आरोप पत्र अभियुक्तगण 1. धर्मवीर यादव, 2. जयनाथ सिंह, 3. आशीष उर्फ अमित कुमार, 4. अंकित कुमार, 5. धनंजय कुमार, 6. बिरेन्द्र कुमार, 7. नीरज कुमार, 8. इरफान अंसारी *के विरूद्ध भा0 द0 वि0 की धारा– 147, 323, 341, 337, 427, 307, 504, 506/149 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 2/24 दिनांक 03.02.2024 समर्पित किया गया है। मामले में चार अभियुक्तों 1. अरूण कुमार, 2. भास्कर कुमार, 3. गोलु कुमार एवम 4. रोहन कुमार के संबंध में उन्हें अनुप्रेषित दिखाया गया है। प्रस्तुत मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रथम सूचना प्रतिवेदन, आरोप पत्र , जख्म प्रतिवेदन एवं कांड दैनिकी के पैरा– 1, 3, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 36, 41, 46, 47 का अवलोकन किया। चूंकि मामले में अभियुक्तगण 1. धर्मवीर यादव, 2. जयनाथ सिंह, 3. आशीष उर्फ अमित कुमार, 4. अंकित कुमार, 5. नंजय कुमार, 6. बिरेन्द्र कुमार, 7. नीरज कुमार, 8. इरफान अंसारी के विरूद्ध आरोप पत्र भा0 द0 वि0 की धारा–147, 323, 341, 337, 427, 307, 504, 506/149 में समर्पित हो चुका है। मामले में साक्षियों के ब्यानों में अनुप्रेषित दिखाये गये अभियुक्तो का भी नाम आया है। केवल एक साक्षी जो कि पैरा सं0– 41 में अपने ब्यान में कहा था कि ये चार अभियुक्त जिन्हें पुलिस द्वारा अनुप्रेषित दिखाया गया है वह घटनास्थल पर नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस* पदाधिकारियों *ने जानबुझ कर मामले में एक ब्यान के आधार पर चार अभियुक्तों को अनुप्रेषित कर दिया है जबकि प्रथम सूचना प्रतिवेदन और अन्य अभियोजन साक्षियों ने इन अभियुक्तों का नाम भी लिया है।* अतः मामले में न्यायालय आरोप–पत्र में वर्णित अभियुक्तगण 1. धर्मवीर यादव, 2. जयनाथ सिंह, 3. आशीष उर्फ अमित कुमार, 4. अंकित कुमार, 5. धनंजय कुमार, 6. बिरेन्द्र कुमार, 7. नीरज कुमार, 8. इरफान अंसारी के साथ–साथ चार अन्य अभियुक्तों *1. अरूण कुमार, 2. भास्कर कुमार, 3. गोलु कुमार एवम 4. रोहन कुमार* के विरूद्ध भा*0 द0 वि0 की धारा– 147, 323, 341, 337, 427, 307, 504, 506/149 में* प्रथम दृष्टया कार्रवाई करने का आधार पाती है। मामले में कांड दैनिकी के पैरा– 1 तथा 3 में सभी अभियुक्तो की उम्र 18 वर्ष से उपर दिखायी गयी है परंतु अप्रत्याशित रूप से बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसंधानकर्ता द्वारा दो अभियुक्तों गोलु कुमार एवम रौशन कुमार को विधि विरूद्व बालक की श्रेणी में डाल दिया क्योंकि यदि वह विधि विरूद्व बालक थे तो न तो ऐसा कोई तथ्य पुलिस के द्वारा न्यायालय के समक्ष लाया गया और न हीं यदि वह विधि विरूद्व बालक थे तो उनके विरूद्व मामले की जॉच बाल कल्याण पुलिस

लगातार

पदाधिकारी को करनी चाहिये थे जो कि इस मामले में नहीं हुआ। अतः न्यायालय अनुसंधानक के इस तर्क से सहमत नहीं है कि गोलु कुमार एवम रौशन कुमार विधि विरूद्ध बालक हैं। अतः *भा0 द0 वि0 की धारा– 147, 323, 341, 337, 427, 307, 504, 506/149 में सभी अभियुक्तगण* ***1. धर्मवीर यादव, 2. जयनाथ सिंह, 3. आशीष उर्फ अमित कुमार, 4. अंकित कुमार, 5. धनंजय कुमार, 6. बिरेन्द्र कुमार, 7. नीरज कुमार, 8. इरफान अंसारी, 9*** *अरूण कुमार, 10.* ***भास्कर कुमार, 11. गोलु कुमार एवम 12. रोहन कुमार*** *के विरूद्ध* ***संज्ञान*** *लिया जाता है। अभिलेख को निजी संचिका में रखा जाता है। कार्यालय अभियुक्तगण के विरूद्ध समन निर्गत करे।*

वाद दिनांक–12/8/24 वास्ते उपस्थिति।

लेखापित,

(मनीष कुमार पाण्डेय)

(जे0 ओ0 कोड बी0 आर0 00961)

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,अरवल।

Civil Court Arwal